132

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 570—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—02—2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 12/अ—13/2014—15.

.....

1—शाहबुददीन पुत्र श्री बहीद खां
2— रफीक खां पुत्र श्री वहीद खां
3— बश्रूददीन पुत्र श्री नसरूददीन
4—शबदद्वीन पुत्र श्री शाहबुददीन
निवासीगण पानविहार तहसील
श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—बद्रीप्रसाद पुत्र श्री हजारीलाल
2— रूकमणिबाई पत्नी बद्रीप्रसाद
3— रामेश्वर पुत्र श्री बद्रीप्रसाद
4— हिरदेश पुत्र श्री बद्रीप्रसाद
5— जीबन सिंह पुत्र श्री बद्रीप्रसाद
6— कुमेर सिंह पुत्र श्री देवकरण दांगी
सभी निवासी ग्राम पानविहार तहसील
श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-10-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि बद्री प्रसाद अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शहाबुददीन आवेदकगण द्वारा रास्ते में खन्ती खोदकर रास्ता अबरूद्व कर दिया गया है जिसके कारण आने जाने में व कृषि कार्य करने में परेशानी हो रही है। तहसीलदार द्वारा रास्ता खोलने के आदेश दिये तथा आवेदक की आपत्ति निरस्त की । इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि अनावेदकों ने तहसहलीलदार के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संजिा की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आवेदकों ने उनका रूढ़ीगत रास्ता बंद कर दिया है जिसे खुलवाया जाये । पूर्व में भी इसी रास्ते का विवाद तहसील न्यायालय में चला था। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 4/अ–13/1979–80 में दिनांक 30.12.80 को आदेश पारित कर दिया था इसलिये पुनः इसी रास्ते के लिये अनावेदकों द्वारा दिया गया आवेदन विचार योग्य ही नहीं है। अपने तर्क में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि उन्होंने अधीनसी न्यायालय के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश–7 नियम –11 के अंतर्गत आवेदन देकर प्रारंभिक आपत्ति भी प्रस्तुत की थी कि एक बार आदेश हो जाने के बाद उसी बिन्दु पर अनावेदकों को पुनः आवेदन देने का अधिकार नहीं है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों की प्रारंभ आपत्ति को असवीकार करने एवं आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत दिये गये आवेदन को निरस्त करने में त्रुटि की है उनका कहना है कि एक बार जब रास्ते केविवाद पर निर्णय हो चुका है तब पुनः आवेदन देने का अधिकार नहीं है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों की प्रारंभ आपत्ति को अस्वीकार करने एवं आदेश –7 नियम 10 के अंतर्गत दिये गये आवेदन को निरस्त करने में त्रुटि की है उनका कहना है कि एक बार जब रास्ते के विवाद पर निर्णय हो चुका है तब पुनः आवेदन

नहीं दिया जा सकता और ऐसे आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। आवेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है कि राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा मौके की जांच करने के पूर्व निगरानीकर्तागण को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया और ना ही मौके की सही स्थिति जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई। उनका लेखी बहस में लेख है कि तहसीलदार के समक्ष एक आपत्ति यह भी प्रस्तुत की गई कि खसरा कमांक 228 रकवा 0.401 है0 कब्रस्तान है जिसमें मुस्लिमों को दफनाये जाते हैं इसलिये रास्ता नहीं दिया जा सकता । उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक चाहे तो अन्य रास्ता उपलब्ध है जिसमें होकर वह अपना कार्य कर सकते हैं आवेदकगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मध्य कब्रस्तान आता है यदि कब्रस्तान से रास्ता दे दिया जाये तो उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस में उनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय में तथा इस निगरानी में जिस प्रकरण का उल्लेख आवेदकगण की ओर से किया गया है उसमें तथा वर्तमान प्रकरण में समान पक्षकार नहीं थे और ना ही उस प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण हुआ था। इसके साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि दिनांक 12.2.15 से प्रकरण में निरंतर कार्यवाही चलती रही और अंतिम तर्क का अवसर आने पर आवेदकों ने व्यवहार प्रकिया सहिंता के अंतर्गत आवेदन दिया गया जबकि ऐसा आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही देना चाहिये था । आवेदकों की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, वह मूल आवेदन के गुण–दोषों से संबंधित है इसलिये निगरानी अस्वीकार की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहसों का अध्ययन किया, एवं मौखिक तर्को पर विचार किया गया। संहिता की धारा 131 के अंतर्गत दिये गये आवेदन का निराकरण दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर और स्थल निरीक्षण में पाये गये तथ्यों केआधार पर किया जाना है जिसके लिये प्रकरण तहसीलदार के समक्ष लंबित है एवं उसमें दोंनों पक्ष अनावेदक पक्ष समर्थन कर रहे हैं जहां तक पूर्व में चले प्रकरण का संबंध है वह प्रकरण 1980 में निराकृत हुआ था जब कि वर्तमान प्रकरण अनावेदकों द्वारा वर्ष 2015 में दिये गये आवेदन पर प्रारंभ

किया गया है । 1980 के 35 वर्ष बाद की स्थिति में दिया गया आवेदन मेरे मत में इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि पूर्व में एक बार प्रकरण चला था। वर्तमान प्रकरण अनावेदकों द्वारा दिये गये आवेदन पर दिनांक 12.2.15 को प्रारंभ हुआ जिसका आवेदकों की ओर से उत्तर प्रस्तुत किया गया। आगे कार्यवाही करते हुये तहसीलदार ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 4.4.15 को स्थल निरीक्षण किया गया । स्थल निरीक्षण के बाद किसी ना किसी बिन्दु पर आपत्तियां की गयी, एवं अंतत दिनांक 12.1.16 को व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश–7 नियम–11 के अंतर्गत प्रांरभिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जो कि प्रारभिक अवसर पर ही प्रस्तुत की जा सकती थी। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण विवाद का गुण–दोषों पर निराकरण नहीं चाहते हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता हे कि पूर्व के प्रकरण एवं वर्तमान प्रकरण में समान पक्षकार नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। न्यायालय तहसीलदार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये यथाशीघ्र प्रकरण का निराकरण करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर